



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12042021-226530
CG-DL-E-12042021-226530

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 12, 2021/चैत्र 22, 1943

No. 209]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 12, 2021/CHAITRA 22, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2021

सं. 21/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 260(अ).—जहां कि यूरोपीय संघ, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “नार्मल बूटानोल अथवा एन-ब्यूटाइल एल्कोहल” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2905 13 00 के अंतर्गत आती है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 13 अप्रैल, 2016, जिसे सा.का.नि. 423(अ), दिनांक 13 अप्रैल, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/29/2020--डीजीटीआर, दिनांक 31 अगस्त, 2020 जिसे दिनांक 31 अगस्त, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया था;

और जहां कि विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगे प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्षों, जिसे की अधिसूचना संख्या 7/29/2020-डीजीटीआर, दिनांक 30 मार्च, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि—

- (i) विषयगत देशों से विषयगत वस्तु की यहां भरमार होती जा रही है और यदि यह शुल्क समाप्त कर दिया जाता है तो बहुत कम कीमत पर इसका भारत के बाजार में आयात होने लगेगा;
- (ii) यदि यह शुल्क समाप्त हो जाता है तो यहां क्षति होने की काफी संभावना है;
- (iii) रिकार्ड में मौजूद जानकारी से यह पता चलता है कि यदि इस स्तर पर लागू प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो ऐसा फालतू आयात जारी रहेगा और इस प्रकार की क्षति होती रहेगी;

और उन्होंने विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित इस विषयगत वस्तु के आयात पर लगे प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की है;

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है तथा भारत में आयातित है पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा –

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	माप इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा एन- ब्यूटाइल एल्कोहल	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ समेत कोई भी देश	कोई भी	46.27	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2.	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा एन- ब्यूटाइल एल्कोहल	विषयगत देशों से भिन्न कोई भी देश	यूरोपीय संघ	कोई भी	46.27	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3.	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा एन- ब्यूटाइल एल्कोहल	मलेशिया	मलेशिया समेत कोई भी देश	मैसर्स पेट्रॉनास केमिकल्स डैरीवेटिवस एसडीएन बीएचडी	51.42	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
4.	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा एन- ब्यूटाइल एल्कोहल	मलेशिया	मलेशिया समेत कोई भी देश	मैसर्स बीएसएफ पेट्रॉनास केमिकल्स एडीएन . बीएचडी	26.59	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
5.	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा एन-	मलेशिया	मलेशिया समेत कोई	क्रम संख्या 3 और 4 में	149.31	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

		ब्यूटाइल एल्कोहल		भी देश	उल्लिखित उत्पादक से भिन्न कोई भी उत्पादक			
6.	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा एन-ब्यूटाइल एल्कोहल	विषयगत देशों से भिन्न कोई भी देश	मलेशिया	कोई भी	149.31	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
7.	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा एन-ब्यूटाइल एल्कोहल	सिंगापुर	सिंगापुर समेत कोई भी देश	कोई भी	35.66	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
8.	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा एन-ब्यूटाइल एल्कोहल	विषयगत देशों से भिन्न कोई भी देश	सिंगापुर	कोई भी	35.66	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
9.	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा एन-ब्यूटाइल एल्कोहल	दक्षिण अफ्रीका	दक्षिण अफ्रीका समेत कोई भी देश	कोई भी	13.24	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
10.	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा एन-ब्यूटाइल एल्कोहल	विषयगत देशों से भिन्न कोई भी देश	दक्षिण अफ्रीका	कोई भी	13.24	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
11.	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा एन-ब्यूटाइल एल्कोहल	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका समेत कोई भी देश	कोई भी	24.16	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
12.	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा एन-ब्यूटाइल एल्कोहल	विषयगत देशों से भिन्न कोई भी देश	संयुक्त राज्य अमेरिका	कोई भी	24.16	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. 354/262/2015-टीआरयू (पार्ट-1)]

राजीव रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th April, 2021

No. 21/2021-Customs (ADD)

G.S.R. 260(E).—Whereas, the designated authority, *vide* notification No. 7/29/2020-DGTR, dated the 31st August, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, had initiated a review in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of ‘Normal Butanol or N-Butyl Alcohol’ (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff item 2905 13 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from European Union, Malaysia, Singapore, South Africa and United States of America (hereinafter referred to as the subject countries), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 13/2016-Customs (ADD), dated the 13th April, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 423(E), dated the 13th April, 2016;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on import of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, the designated authority in its final findings, published *vide* notification No. 7/29/2020-DGTR, dated the 30th March, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, has come to the conclusion that-

- (i) there is continued dumping of the subject goods from the subject countries and the imports are likely to enter the Indian market at dumped prices in the event of expiry of duty;
- (ii) there is likelihood of injury in the event of expiry of duty;
- (iii) the information on record shows likelihood of continuation and recurrence of dumping and injury in case the anti-dumping duty in force is allowed to cease at this stage,

and has recommended continued imposition of anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) and in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table, namely:-

TABLE

S.No.	Tariff Item	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty Amount	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	29051300	Normal Butanol or N-Butyl Alcohol	European Union	Any country including European Union	Any	46.27	MT	US\$

2.	29051300	Normal Butanol or N-Butyl Alcohol	Any other than the subject countries	European Union	Any	46.27	MT	US\$
3.	29051300	Normal Butanol or N-Butyl Alcohol	Malaysia	Any country including Malaysia	M/s PETRONAS Chemicals Derivatives Sdn. Bhd.	51.42	MT	US\$
4.	29051300	Normal Butanol or N-Butyl Alcohol	Malaysia	Any country including Malaysia	M/s BASF PETRONAS Chemicals Sdn. Bhd.	26.59	MT	US\$
5.	29051300	Normal Butanol or N-Butyl Alcohol	Malaysia	Any country including Malaysia	Any other than producer at S. No. 3 & 4	149.31	MT	US\$
6.	29051300	Normal Butanol or N-Butyl Alcohol	Any other than the subject countries	Malaysia	Any	149.31	MT	US\$
7.	29051300	Normal Butanol or N-Butyl Alcohol	Singapore	Any country including Singapore	Any	35.66	MT	US\$
8.	29051300	Normal Butanol or N-Butyl Alcohol	Any other than the subject countries	Singapore	Any	35.66	MT	US\$
9.	29051300	Normal Butanol or N-Butyl Alcohol	South Africa	Any country including South Africa	Any	13.24	MT	US\$
10.	29051300	Normal Butanol or N-Butyl Alcohol	Any other than the subject countries	South Africa	Any	13.24	MT	US\$
11.	29051300	Normal Butanol or N-Butyl Alcohol	USA	Any country including USA	Any	24.16	MT	US\$
12.	29051300	Normal Butanol or N-Butyl Alcohol	Any other than the subject countries	USA	Any	24.16	MT	US\$

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/262/2015-TRU (Pt-I)]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.